



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-369

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 320953 दिनांक 25/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	M/S SHREE SHYAM HOMES AS PARTNER Subhash Kharra S/o Raghunath Ram	श्री धमेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री हरेती लाल गोयल	11	222.91 SQ. YARD	Private	NARAYAN VIHAR-P	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक मैसर्स श्री श्याम होम्स जरिये पार्टनर श्री सुभाष खर्रा पुत्र श्री रघुनाथ राम ने निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार पी के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 222.91 वर्ग गज का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार पी के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 222.91 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 22.10.2009 को श्री धमेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री हरेती लाल गोयल के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात इनके द्वारा श्रीमती

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								नर्मदा शर्मा पत्नी श्री डी.एन. शर्मा को रजि० मु०आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्रीमती नर्मदा शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से श्री द्वारका नाथ शर्मा पुत्र स्व० श्री शालिग राम शर्मा को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात श्री द्वारका नाथ शर्मा द्वारा श्री सीताराम शर्मा पुत्र स्व० श्री चन्दलाल शर्मा को रजि० मु०आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री सीताराम शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री राजाराम को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात श्री वेदप्रकाश द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.12.2020 के माध्यम से श्री श्री कपिल देव सिंदोलिया पुत्र श्री	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

रामकुमार शर्मा
को बैचान कर
दिया गया।
तत्पश्चात श्री
कपिल देव
सिंदोलिया द्वारा
उक्त भूखण्ड
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
10.07.2026 के
माध्यम से मैसर्स
श्री श्याम होम्स
जरिये पार्टनर श्री
सुभाष खर्षा पुत्र
श्री रघुनाथ राम
को बैचान कर
दिया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. M/S SHREE SHYAM HOMES AS PARTNER Subhash Kharra S/o Raghunath Ram को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |